राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..38 / 2017 ....जिला.........जयपुर...

उनवान – मैसर्स प्रीमीयर प्लाईलेम मार्केटिंग कम्पनी, जयपुर **बनाम** वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.04.2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज घीया एवं प्रत्यर्थी विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद उपस्थित। अपीलार्थी–व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), पतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के प्रकरण संख्या 35 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा एकतरफा पारित आदेश दिनांक 13.10.2016 को यथावत रखा गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का स.वा.क.अ. घट–द्वितीय, वृत–एफ, जोन–प्रथम, जयपुर द्वारा सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के पश्चात् पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी ने सत्यापन / जांच के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा करापवंचन पाया गया एवं एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उपायुक्त (प्रशासन) ने अस्वीकार कर दिया। उपायुक्त (प्रशासन) के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वक्त सशक्त अधिकारी के सुनवाई, अपीलार्थी व्यवसायी के बीमार हो जाने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। इसके बावजूद भी सशक्त अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।	

उभयपक्षों बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष बीमार होने के संदर्भ में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर मिसल वास्ते सुनवाई/बहस दिनांक 11.05.2017 को सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश हो। साथ ही अपीलार्थी व्यवसायी को भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त दिनांक को वह आवश्यक रूप से सशक्त अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर